



1286



मिसिल सं. 6(1)/2017- पी.डी.-III

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली  
दिनांक 19 जनवरी, 2018

सेवा में  
सचिव  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
बिहार सरकार, पटना

525  
17/1/18


विषय: अंत्योदय परिवारों को नया राशन निर्गत करने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय के पत्र दिनांक 19.12.2017 का संदर्भ लें जो कि अंत्योदय परिवारों को नया राशन निर्गत करने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में है।

2. जहां तक अंत्योदय (ए ए वाई) परिवारों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न है इस बारे में सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कंट्रोल ) आदेश, 2015 द्वारा बिहार राज्य में पात्र अंत्योदय (ए ए वाई) एवं पूर्वीक्ता प्रवर्ग (पी एच एच) में व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की गयी है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) संशोधन आदेश, 2015 दिनांक 28.10.2015 (प्रति संलग्न) के दिशा निर्देशानुसार बिहार राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों की निर्धारित सीमा तक नए पात्र अंत्योदय परिवारों को वर्तमान अंत्योदय परिवारों की सूची में शामिल कर सकती है इसके अलावा बिहार राज्य सरकार को इस बिन्दु का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि अंत्योदय एवं पूर्वीक्ता प्रवर्ग परिवारों को वर्तमान सूची में जोड़ते समय कुल अंत्योदय एवं पूर्वीक्ता प्रवर्ग परिवारों की क्रमशः संख्या उनकी निर्धारित संख्या तक सीमित रहे।

संलग्न: यथापरोक्त

भवदीय

  
(सतीश चंद)

कृते अवर सचिव, भारत सरकार

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापानक-प्र०-६-अन्त्योदय-०१/२००८

335

/खाद्य,पटना/दिनांक 19/01/18

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रघुबीर  
विभागाध्यक्ष

सरकार के विशेष सचिव ।

245



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 29, 2015, कार्तिक 7, 1937

No. 664]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2015/ KARTIKA 7, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

सं. 664/2015 अक्टूबर 29, 2015

सा.का.नि. 814(अ)-कन्द्रीय सम्मान, ज्ञानरत्ना वसुधैव कुटुम्बकम्, 1995 (1955 का 10) विधाना 3 द्वारा प्रदत्त अधिसूचना सं. 664/2015 अक्टूबर 29, 2015 का संशोधन करने के लिए अधिसूचना सं. 664/2015 अक्टूबर 29, 2015

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिनियम संख्या 664/2015 का

2. संशोधन करने के लिए अधिसूचना सं. 664/2015 अक्टूबर 29, 2015

3. संशोधन करने के लिए अधिसूचना सं. 664/2015 अक्टूबर 29, 2015

(1) सं. 3 (1)

(2) सं. 3 (2) में सं. 3 (1) के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्दों का अर्थ, जहाँ-

(a) अधिसूचना सं. 664/2015

(3) सं. 3 (3) के अन्तर्गत का अर्थ, जहाँ-

(a) अधिसूचना सं. 664/2015

[सं. 664/2015 का भाग II]

अधिसूचना सं. 664/2015

पाद टिप्पण - मूल अधिसूचना सं. 664/2015 अक्टूबर 29, 2015, का संशोधन करने के लिए अधिसूचना सं. 664/2015 अक्टूबर 29, 2015 का संशोधन करने के लिए अधिसूचना सं. 664/2015 अक्टूबर 29, 2015